

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-10/2011/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा की भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची चार के कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के ज़बंध में अनुसूची चार के कॉलम (5) के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति;
(घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है नियम 11 के अनुसार भर्ती के लिए आवोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
(ङ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) “राज्यपाल” हो अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(ज) “अन्य विछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना अनुक्रम एफ-8-5/एचीस/4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (पैर-क्रमी-लेफ्टर);
(झ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(झ) “अनुमूलित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संघर्ष में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

- (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगी।
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा: परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।
6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्—
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से धारण करते हों द्वैता कि इस नियमित विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
- (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुमूलित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम ६ में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— चयन के लिए पात्र होने के लिये, अन्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्—
- एक. आयु : (क) वर्ष, जिसमें एद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जन्मवरी के प्रथम दिन पर अन्यर्थी ने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनोदिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

- (ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्ग (गैर-क्रीमी-लेवर) से सदृशित हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् ५ वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विसेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (घ) ऐसे अभ्यर्थियों के सबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या इह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:-
- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये और उसके प्रवर्ग में सेवा की कालावधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह छूट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को भी लागू होगी;
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम् 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:
- परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यवित जो इस राज्य की अश्तु किन्हीं भी लंगड़ुक इकाईयों नहीं अरथात् शासकीय सेवा में कम से कम ३ माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में

नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कर्मी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(३) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुमति किया जाएगा।

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा अथवा ३ (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से ज्ञानक है, ऐसा व्यक्ति जो नियन्त्रित प्रवर्ग में से किसी एक प्रार्था का हो तथा जो भारत सरकार के अंदरूनी कम से कम छ. माह की कालावधि तक नियन्त्रित रियोजित रहा हो और उसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियन्त्रित होता है। अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व नियन्त्रित होकार्ड की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में राजन्य रूप से उसे किये जाने के कारण छान्ती किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्रसरण) घोषित किया गया हो:-

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

 - (क) अत्यकालीन वचनवद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
 - (ख) नामांकन की शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

- (तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी सविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कर्मीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);
- (चार) अवकाश रिक्तियों पर छ. माह से अधिक समय तक निरतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी,

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें उच्चात होने के कारण सवा से अलग आवंटित गया हो।

(छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें शहर पर रोकन्मुक्त किया गया है कि उन दो दक्ष सैनिक वर्ग में हों।

(जात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लाते रख जाने, घाव आदि हो जाएं के कान्दा शिथिलतीय आवंटन के लिए उच्चात होना अविवाक दिया गया हो।

(ग) एवं आवधिकों के लिए उच्चात होना नियोजित/उच्चात कार्रवाय के अवधिकारी आवंटन के लिए उच्चात होना अविवाक दिया गया उचिततम होती।

(घ) असृश्यता नियामक विवरण के अधीन उत्तीर्णात अवधिकारी जिन्हें प्राप्तकाल वोजन के अनुसार अत्यांतोप लियाह और सात वर्षों के अन्दर अत्यांत पुराकृत वर्षों के सदर्न अवधि/वर्षों के वर्षों के अन्दर अत्यांत उच्चतर आयु वीला एवं उपर तक शिथिलतीय होती।

(ङ) शहीद राजीव नाथ पुराकृत गुणाध्यक्ष रामान एवं महानकालीन भाजादेव अवधिकारी एवं आवधिकों तथा राजदेव एवं पुराकृत जाति एवं आवधिकारी के अवधिकारी एवं सामाज्य उच्चतर आयु सीमा उचिततम ५ (पाँच) वर्ष तक उचिततम होती।

(ज) ऐसे अवधिकों के अवधि में, जो उत्तीर्णात राजदेव, महानकालीन कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु वीला अविवाक ३५ वर्ष के अन्दर शिथिलतीय होती।

(झ) स्वर्णसेती नगर सैनिकों एवं नगर सेवा के लाल कार्रवाय अविवाकीय संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई भगवर सेवा सेवा दीर्घावाली लिए उच्चतर आयु सीमा में ४ वर्ष की सीमा के अवधिकार रहते हुए लृप्त जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु ३८ (त्रिसील) वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिये।

टीप

- (1) ऐसे अन्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अधिकारीयों द्वारा रीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (3) उपरोक्त संदर्भों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उग्रत्व, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) किसी अन्य मामले में, आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।
- (5) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

दो. शैक्षणिक अहंताएं - (एक) अन्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अहंताएं होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में है।

- (क) आपवादिक मामलों में, आयोग शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अन्यर्थीयों को अई (योग्य) समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में विहित अहंताओं में से कोई अहंता न हो, किन्तु जिसने अन्य सरथानों द्वारा संबालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण किया हो जो आयोग की चाय में प्रतेष 'क्रृष्ण' के द्वारा हो।

144

የመተዳደሪያ በመተዳደሪያ የመተዳደሪያ በመተዳደሪያ

(3) **סְבִירָה**, פֶּגַע וְלֹא כֵּן כֵּן מִתְּמֻמָּה וְלֹא כֵּן כֵּן מִתְּמֻמָּה:

1. **הַנְּבָאָה** בְּשִׁירָה וְבְמִזְבֵּחַ בְּעֵדֶן בְּבָשָׂר וְבְלִבְנָה
2. **הַנְּבָאָה** בְּשִׁירָה וְבְמִזְבֵּחַ בְּעֵדֶן בְּבָשָׂר וְבְלִבְנָה

1162

用微距

Digitized by srujanika@gmail.com

2016 12월 16일 10:54 2016년 12월 16일 10:54

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com on 22-Nov-2013

(4) कोई भी अध्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात यह समझाया हो जाय कि वह (अध्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) जोई भी अध्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किरी अपराध का सिद्ध दोष उत्पन्न कराया है, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

एन्ट्री यदि किसी अध्यर्थी के विरुद्ध सामालय में ऐसे सामले रखिया हैं, तो उन्हें नियुक्ति उन प्रकार नहीं लक्षित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक सामले का नामांकण द्वारा अंतिम विविच्छय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अध्यर्थी, जिसके दिलाह के लिए नियत दी गई स्पून्टर्स आयु से पूर्व विवाह लिया है, किसे सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अध्यर्थी नियमों द्वारा अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म नवाचालन के दौरान या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

एन्ट्री यदि कोई अध्यर्थी जिसकी सहाये से एक जीवित संतान में जन्म लाया जाये तो उसके दौरान या उसके पश्चात हो, जिसमें यो या यो से स अधिक संतान जन्म लाया है, तो उन सभी पद के लिए निरहीन नहीं होगा।

अन्त में उत्तराधिकारी के प्राप्ति का विविच्छय – (1) व्यक्ति के जिन अध्यर्थी की व्यापक जानकारी का विविच्छय उत्तिल होगा तभी ऐसे कोई भी अध्यर्थी जो, एक वैधा साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रदेश प्रभागपत्र जानी नहीं दिया गया है, जानकारी आधारतार में शामिल होने के जिन अनुहात नक्षी किए जायेंगे।

(2) आयोग द्वारा दिया गया विविच्छय के प्रकार यह अध्यर्था शासन को चयन समी भूतन के द्वारा न हो, यदि अध्यर्था के सज्जान में यह तथ्य आता है कि अध्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा परस्पर दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह

निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—(1) भेत्र में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐम अन्तर्रालों पर ली जायेगी, जैसा कि शासन आयोग के पश्चात्तर से समय—समय पर, अवधारित करे।
 (2) आयोग द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी हाल जायेगा या प्रशासनी से समय समय पर ऐसी परीक्षा के लिए जारी पात्रक्रम परीक्षा घोषित और निर्देश द्वारा अनुसार आयोजित की जायेगी।
 (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम में, पहले को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को हित आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 नन् 1994) में अंतर्विन्दि उपबंध तथा साज्ज शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।
 (4) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे।
 (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को बनाये रखने का सम्पर्क ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा चयनित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
 (6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य, महिला, विकलाग (विवाहित), एवं दूसरी सैनिक हैं, की नियुक्ति के लिए उत्ती क्रम में विचार किया

जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 ने निर्दिष्ट सूची में आये हों, वाह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अहिंत हो तथा अनुरूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग (पैर-किमी-लद्दर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अहिंत नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्ता यदित / भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूदरूप ऐसे स्तर से अहिंत हो, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेव वर्ष की होगी। स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।
- (4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।
- (5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के

लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
 - (7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, उपस्थिति दर्ज न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
 - (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
 - (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
 - (10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
 - (11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।
13. परिवीक्षा— (1) सेवा में सौधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा।

- (2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति।**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:
- परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्ध का भी अनुसरण किया जायेगा।
- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।
- (4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों तथा उक्त अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा नाम

गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें— (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (3) में विविरिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अहंकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये कोई अन्य विचारण क्षेत्र (आधार) नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आगे आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अधिक के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
16. उपर्युक्त अम्भार्थियों की सूची तैयार करना।— (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपर्युक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान संशयनिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उबल अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, उबल सूची में व्यक्तियों की पच्चीस प्रतिशत संख्या को सम्मिलित करते हुए, एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।
- (2) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के अनुसार तैयार किये जाने के समय अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम व्यवस्थित की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।
17. आयोग से परामर्श।— (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावजा के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—
- (एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख,

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशासित अवक्रमण प्रस्तावित है;

(तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति क प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण;

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणिया।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श सबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुवत प्रतीत हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पार्टों से अनुसूची-चार के कॉलम; (न) में दबा उल्लिखित पदों पर लिपिचित नोंक के संदर्भों का वर्णानाते के लिए अनुमादित चयन सूची होगी।

- (4) चयन सूची सामान्यतया इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।
19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति— (1) चयन सूची में समिलित व्यक्तियों की सेवा-संदर्भ के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में समिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।
20. परिदीक्षा— सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष दी कालावधि के लिये परिदीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा।
21. निर्वचन— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
22. शिथिलीकरण— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति से कार्यग्राही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, समिति या कम करती है।

परन्तु काइ मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबोधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

पान 1]

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013

2007

23 निरसन एवं व्यावृत्ति :— (1) इन नियमों के तत्पथानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व शब्दात् समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या कोई गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्पथानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या कोई गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दो कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, डप-सचिव.